Email: cswriavikanagar@yahoo.com दूरभाष : 01437–220177 फैक्स नं. 91–01437–220163
भा.कृ.अ.प.–केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान
अविकानगर, तह0 मालपुरा, जिला–टोंक (राजस्थान) – 304501
ICAR-Central Sheep & Wool Research Institute
Avikanagar, Teh.Malpura, Dist.Tonk (Rajasthan) – 304501

Dated 9-4-2018

NOTICE INVITING TENDER THROUGH E-PROCUREMENT

Online Bids are invited from the interested firms under two bid system for **Job contract work for Kharif fodder crop production related activities at various agricultural sectors under the Farm Section of the Institute** at **ICAR-CENTRAL SHEEP & WOOL RESEARCH INSTITUTE, AVIKANAGAR, MALPURA, DISTT. TONK, RAJASTHAN, PIN 304501.** Manual bids shall not be entertained.

Tender documents may be downloaded from e-Procurement website of CPP https://eprocure.gov.in/ and www.cswri.res.in as per the schedule as give in CRITICAL DATE SHEET as under:

CRITICAL DATE SHEET

Tender No.	SP/contract proposal/2017-18/
Date and Time for issue/Publishing	9-4-2018 at 3-00 PM
Document Download/Sale start date and time	9-4-2018 at 3.00 PM
Bid Submission Start Date and Time	10-4-2018 at 3-00 PM
Bid Submission End Date and Time	01-05-2018 at 3.00 PM
Date and Time for Opening of Bids	02-05-2018 at 3.00 PM
Tender fee and Earnest money Security money	Tender fee –Rs.500/- Earnest money – Rs.22000/- Security money – 5 % of contract amount
Bank detail	ICAR UNIT -CSWRI ,Avikanagar payable State Bank of India Branch – Malpura Tonk Rajasthan
Address for Communication	Administrative Officer, C.S.W.R.I., Avikanagar,Malpura, Distt. Tonk, Rajasthan Pin- 304501

Administrative Officer

INSTRUCTIONS FOR ONLINE BID SUBMISSION

1- The tender form/bidder documents may be downloaded from website: https://eprocure.gov.in. Online submission of Bids through Central Public Procurement Portal (https://eprocure.gov.in) is mandatory. **Manual/Offline bids shall not be accepted under any circumstances.**

2- Tenders/bidders are requested to visit website https://eprocure.gov.in regularly. Any changes/modifications in tender enquiry will be intimated by corrigendum through this website only.

3- In case, any holiday is declared by the Government on the day of opening, the tenders will be opened on the next working day at the same time. The Institute reserves the right to accept or reject any or all the tenders.

4- The interested Firms are required to deposit (in original) **Tender Fee of Rs.500/-** (Non-refundable) in the shape of Demand Draft prepared in favour of **ICAR UNIT -CSWRI ,Avikanagar payable at SBI, MALPURA may be addressed to the Administrative Officer, C.S.W.R.I., Avikanagar, Malpura, Distt. Tonk, Rajasthan Pin- 304501** on or before bid opening date and time as mentioned in the Critical Date Sheet.

5- The interested Firms are required to deposit (in original) and Earnest Money Deposit (EMD) of the amount mentioned against item in the form of Demand Draft/FDR from any of the Nationalised Bank **in favour of ICAR UNIT -CSWRI, Avikanagar payable at SBI, MALPURA** may be addressed to the Administrative Officer, C.S.W.R.I., Avikanagar,Malpura, Distt. Tonk, Rajasthan Pin- 304501 on or before bid opening date and time as mentioned in the Critical Date Sheet.

6- The firm should send the Original brochures of the product and may be addressed to the **Administrative Officer, CSWRI, Avikanagar, Malpura, Distt. Tonk, Rajasthan Pin- 304501 on or before bid opening date and time as mentioned in the Critical Date Sheet.**

7- Bidders need not be come at the time of Technical as well as financial bid opening at ICAR-CSWRI, Avikanagar. They can view live bid opening after login on CPP e-Procurement Portal at their remote and, If bidder wants to join bid opening event at ICAR-CSWRI, Avikanagar then they have to come with bid acknowledge slip that generates after successfully submission of online bid.

The Firms are also required to upload scanned copies of the following documents:

1. Scanned copy of Firm Registration certificate
2. Scanned copy of Pan card
3. Scanned copy of GST Certificate. In case, if contractor is not eligible for GST ,a certificate is required showing his turnover less than Rs.20 lakhs of his claim is to be sustained by documentary evidence like ITR (Income Tax Reurn),balance sheet, profit & Loss Statement etc.
4. Scanned copy of ESI and EPF Registration
5. Scanned copy of D.D. of Tender Fee
6. Scanned copy of D.D. of E.M.D.
7. Scanned copy of Acceptance letter

All necessary documents in support of the details for S.No. 1 to 7 must accompany the technical bid. The bid is liable to be rejected in case documents are not uploaded in the technical bid on CPP Portal, documents are incomplete or in case any certification/registration has already expired but is yet to be renewed. Only essential and necessary valid documents are to be uploaded in the technical bid. Please avoid uploading extraneous and irrelevant documents which unnecessary cause confusion.

Administrative Officer

भा.कृ.अ.प.–केन्द्रीय भेड एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर
तहसील–मालपुरा, जिला–टोंक, राजस्थान –304 501

क्रमांकः 6(366)एसपी/2016/ दिनांकः 9.4..2018

निविदा प्रपत्र सूची

संस्थान के प्रक्षेत्र अनुभाग के अधीन विभिन्न कृि सैक्टरों पर खरीफ चारा फसलों के उत्पादन से संबंधित कार्य

क्रम संख्या	कार्य का विवरण	अनुमानित समय अवधि/ फसलें	कार्य की अनुमानित मात्रा	दर रूपये
1–	चारा फसलों एवं अंजन घास उत्पादन के लिये प्रक्षेत्र तैयार करने हेतु, विभिन्न ब्लॉकों से झाडियों/सूखे पेड़ों के ठूंठों एवं अन्य अंवाछनीय पदार्थो को हटाना । पेड़ों की छंगाई टेक्टर के हुड को नुकसान होने से बचाने के लिए करना ।	अप्रेल 2018 से दिसम्बर, 2018 तक	150 हैक्टर	प्रति हैक्टर
2–	खरीफ फसल में चौंला, ग्वार, बाजरा/ज्वार, चौंला / डोलीकस की बुआई से लेकर कटाई तक सभी प्रक्रियाये (जैसे–दो बार निराई–गुडाई करना, फसल कटाई, ग्वार की थ्रेसिंग करवाना, तुलवाने के बाद प ाुधन सैक्टरों पर चौला सूखे चारे की कुट्टी करवाना एवं बीज व चारे के भण्ड़ारण तक का कार्य करना) चौला बीज के अतिरिक्त अन्य फसलों मे सूखे चारे में बीज की मात्रा सम्मलित होगी। जिसमें बीज की दर चारे के वजन में सम्मलित होगी। टेक्टर व कुट्टी म ाीन संस्थान द्वारा उपलब्ध करवाया जावेगा।	चौंला बीज	6 क्विटल	30/– रूपये प्रति किलो
		चौंला/ डोलीकस सूखा चारा	600 क्विंटल	प्रति क्विंटल
		ग्वार भूसा	700 क्विंटल	प्रति क्विंटल
		बाजरा/ज्वार	400 क्विंटल	प्रति क्विंटल

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैनें निविदा में द ाायी गई सभी नियम व शर्ते भली–भांति पढ़ली है तथा मुझे पूर्णरूप से स्वीकार है। मैं यह भी वचन देता हूं कि मुझे व मेरे प्रतिनिधि को उपरोक्त निविदा प्रपत्र में द ााये गये सभी कार्यो का पूर्ण ज्ञान है। मैं उपरोक्त द ाायी गई दरों पर **संस्थान के प्रक्षेत्र अनुभाग के अधीन विभिन्न कृि सैक्टरों पर खरीफ चारा फसलों के उत्पादन** से संबंधित कार्य को अनुबन्ध/ठेके के आधार पर सम्पन्न करवाने के क्रम में रेट कोन्टेक्ट/जॉब कोन्टेक्ट पर करने के लिये सहमत हूं। मैं यह वचन देता हूं कि संस्थान द्वारा समय–समय उपरोक्त द ााये गये कार्य के अतिरिक्त कार्य करवाया जावेगा तो उक्त द ाायी गई दरों पर संस्थान में कार्य करूंगा तथा मैं प्रभारी, फार्म अनुभाग या उनके प्रतिनिधि से समय–समय पर सम्पर्क करके उनके निर्दे ाानुसार अनुबन्ध कार्य करता रहूंगा। मैं अनुबन्ध कार्य में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करूंगा और संस्थान के अधिकारियों/कर्मचारियों से विनम्रता पूर्वक व्यवहार रखूंगा। यदि मेरे या प्रतिनिधियों द्वारा अनुबन्ध कार्य में किसी प्रकार का व्यवधान/हस्तक्षेप करने/या उनके द्वारा बताये जाने वाले कार्य को करने के लिये मना आदि करता हूं तो मेरे द्वारा जमा करवाई जाने वाली अमानत/जमानत रा ाि को जब्त करके अनुबन्ध को निरस्त किया जा सकता हैं जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी।

यह भी वचन देता हूं कि मैं भारत/राजस्थान सरकार के प्रचलित सभी श्रमिक नियमों का पूर्ण रूप से पालन करूंगा तथा मेरे द्वारा लगाये गये सभी प्रतिनिधियों की मजदूरी का भुगतान समय–समय पर निर्धारित दैनिक मजदूरी की दर से करूंगा।

यह मेरे/हमारे संज्ञान में भली–भांति से है कि आपके द्वारा उपरोक्त कार्य हेतु प्राप्त निविदाओं में आप न्यूनतम अथवा किसी अन्य निविदाओं को स्वीकार करने हेतु बाध्य नहीं है एवं सक्षम अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय मुझे/हमें मान्य हैं। अनुबन्ध की अवधि समाप्त होने के उपरान्त मेरा व मेरे द्वारा लगाये गये प्रतिनिधियों का इस संस्थान से जॉब कोन्टेक्ट के अलावा कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा और न ही मै किसी प्रकार का संस्थान के खिलाफ कोई कार्यवाही करूंगा।

दिनांक ––––––––

हस्ताक्षर ठेकेदार/फर्म प्रतिनिधि मय सील
पूरा पता
टेलीफोन/मोबाईल नं.

संस्थान के प्रक्षेत्र अनुभाग के अधीन विभिन्न कृि सैक्टरों पर खरीफ चारा फसलों के उत्पादन से संबंधित कार्य करने के लिये नियम व शर्ते

1. अनुबन्धकर्ता को प्रक्षेत्र के चॉदसेन, टाउन िप, नयाकुआ एवं मझोला सैक्टरों के कार्यो को करवाने के लिए अलग–अलग प्रयेवक्षक नियुक्त कर प्रभारी फार्म/प्रभारी सैक्टरो के निर्दे ानुसाार अनुबन्ध कार्य समय पर पूरे करवाने होगें । अनुबन्ध कार्य को पूर्ण करवाने के लिए प्रभारी सेक्टरों के निर्दे ानुसार श्रमिकों का प्रबन्ध करना होगा ।
2. फसलों की कटाई प्रभारी फार्म अनुभाग/सैक्टर प्रभारी के निर्दे ानुसार मानवीय श्रम से करनी होगी तथा फसलों की तुलवाई धर्म कॉटे पर या निर्धारित स्थान पर भेड़ सैक्टरों पर गठित समिति द्वारा किया जावेगा एवं चारे को चारा डिपो में ठीक तरह से जमाना होगा ।
3. अनुबन्धकर्ता को खरीफ की फसल उत्पादन करने के दौरान उपरोक्त सभी सैक्टरों पर उपलब्ध सामान की सुरक्षा /सिंचाई में काम में आने वाले ट्यूबवैल एवं उक्त क्षेत्र में लगी लोहे की फेसिंग की देखभाल करनी होगी तथा कार्य क्षेत्र के आस–पास लगभग 10 मीटर चारों ओर बने रास्तों की सफाई, लॉन की देखरेख, कटाई छँगांई, पेड़ पौधों को पानी डालना, अनुभाग की नर्सरी की देखभाल करना एवं प्रत्येक सैक्टर पर पहले से बनी नालियों में निर्दे ानुसार अपि ट ऊन की खाद तैयार करना होगा। साथ ही खरीफ की फसल की अवधि पूर्ण होने पर प्रभारी फार्म अनुभाग के निर्दे ानुसार समस्त सामान प्रभारी सेक्टर को सौपना होगा ।
4. खरीफ फसल प्रक्षेत्र में झाड़ियों की सफाई, निराई–गुड़ाई करने के दौरान चरागाह खरपतवार रहित होना चाहिए ।
5. उक्त कार्य के लिये काम में आने वाले औजार व मजदूर अनुबन्धकर्ता द्वारा उपलब्ध करवाना होगा । जुताई, बुआई व ढुलाई के लिये टेक्टर संस्थान द्वारा उपलब्ध करवा दिया जावेगा ।
6. उपरोक्त सभी कार्यो की पूर्णता तभी मान्य होगी जब प्रभारी, प्रक्षेत्र व उनके प्रतिनिधि द्वारा कार्य सन्तो जनक पूर्णता करने का प्रमाणित करेगे । उसके बाद ही भुगतान किया जावेगा यदि कार्य दिये गये माप–दण्डों के अनुसार पूर्ण नहीं किया गया तो किये गये कार्य की मात्रा के अनुसार भुगतान किया जावेगा ।
7. कृि से सम्बन्धित सभी कार्य प्रभारी फार्म अनुभाग/उनके प्रतिनिधि के दि ा–निर्दे ानुसार करना होगा एवं खेती के लिए खेत का निर्धारत प्रभारी प्रक्षेत्र/प्रभारी सैक्टर के अनुसार होगा ।
8. अनुबन्कर्ता को फसल की रखवाली भी स्वयं करनी होगी । यदि रखवाली के दौरान बाहरी जानवरों द्वारा चारे को किसी प्रकार से नुकसान होता हैं तो उस नुकसान की भरपाई अनुबन्धकर्ता द्वारा प्रस्तुत दर प्रति क्विंटल के हिसाब से देय बिल मे से औसत पैदावार के आधार पर की जावेगी। नुकसान का आकंलन प्रभारी प्रक्षैत्र / सक्षम अधिकारी महोदय द्वारा गठित समिति द्वारा किया जावेगा।
9. मानसून एवं विविध कारणें से चारा फसलों का उत्पादन एवं अन्य कार्य प्रभावित होने पर संस्थान की कोई जिम्मेदरी नहीं होगी तथा संस्थान द्वारा किसी प्रकार का हर्जाना, क्षतिपूर्ति नहीं की जायेगी।
10. फसलों की कटाई प्रभारी फार्म अनुभाग/सैक्टर प्रभारी के दि ा निर्दे ानुसार करनी होगी तथा फसलों की तुलवाई धर्म काटें पर या निर्धारित स्थान भेड़ सैक्टरों पर गठित समिति द्वारा किया जावेगा एवं चारे को चारा डिपो में ठीक तरह से जमाना होगा ।
11. खरीफ फसलों की बुवाई हेतु बीज संस्थान का रहेगा।
12. काटे गये सूखे चारे में अगर किसी तरह की अनाव यक मिलावट पाई जाती है तो प्रभारी प्र–क्षैत्र/सक्षम अधिकारी द्वारा गठित समिति द्वारा जो भी निर्णय लिया जावेगा वह अनुबन्धकर्ता को स्वीकार्य होगा ।

कटौतियाक्र

1. अनुबन्धकर्ता/प्रतिनिधि द्वारा कार्य में किसी भी प्रकार की िथिलता/गैर जिम्मेदारी/अवज्ञा की गई अथवा कोई नुकसान/चोरी/क्षति पहुँचाई जाती है तो उसकी वसूली स्वंय अनुबन्धकर्ता को नकद करनी होगी अन्यथा उनके देय बिल से काट ली जावेगी ।
2. अनुबन्कर्ता को रात की रखवाली भी स्वयं अनुबन्धकर्ता की होगा । यदि रात की रखवाली के दौरान बाहरी जानवरों द्वारा चारे को किसी प्रकार से नुकसान होता हैं तो उस नुकसान की भरपाई अनुबन्धकर्ता द्वारा प्रस्तुत दर प्रति क्विंटल के हिसाब से देय बिल मे से की जावेगी । नुकसान का आकंलन प्रभारी, प्रक्षैत्र / प्रभारी, सेक्टर / सक्षम अधिकारी महोदय द्वारा गठित समिति द्वारा किया जावेगा ।
3. variation clause subject to force measure को देखते हुए प्रस्ताव की तय की गई निि चत मात्रा से 20 प्रति ात कम या 20 प्रति ात अधिक होने पर कोई पेनल्टी क्लोज लागू नहीं होगा । परन्तु प्रस्ताव की तय की गई निि चत मात्रा से 20 प्रति ात से कम होने की द ा में, 20 प्रति ात से कम हुई उत्पादन की मात्रा पर 10 प्रति ात की कटौती की जा सकती है । इसी तरह तय की गई निि चत मात्रा से 20 प्रति ात से अधिक होने की द ा में ,20 प्रति ात से अधिक उत्पादन की मात्रा पर 90 प्रति ात का ही भुगतान किया जावेगा ।

   जैसेः यदि प्रस्ताव में उत्पादन की मात्रा 1000 क्विंटल रखी गई है यदि यह निर्धारित मात्रा 20 प्रति ात कम उत्पादन होने पर अर्थात 800 क्विंटल तक कोई पेनल्टी क्लोज लागू नहीं होगा परन्तु यदि इसकी उत्पादन मात्रा 800 से घटाकर 700 क्विंटल ही रह जाती है तो उस स्थिति में कम उत्पादन मात्रा 100 क्विंटल पर 10 प्रति ात कम करके अर्थात 690 मात्रा का ही भुगतान अनुबंधकर्त्ता को किया जा सकेगा ।

   ठीक इसी तरह यदि निि चत की गई उत्पादन मात्रा 1000 क्विंटल है 20 प्रति ात अधिक मात्रा उत्पादित होने पर अनुबंधकर्त्ता को अर्थात 1200 क्विंटल तक कोई पेनल्टी क्लोज लागू नहीं होगा परन्तु यदि उत्पादित मात्रा 1200 से बढकर

यदि 1400 क्विंटल हो जाने पर ऐसी स्थिति में 200 क्विंटल अधिक मात्रा पर 90 प्रति ात मात्रा का ही भुगतान किया जावेगा । अर्थात कुल मात्रा 1380 क्विंटल का ही अनुबंधकर्त्ता को भुगतान देय होगा ।

<u>अनुबन्ध की सामान्य नियम व ातें:</u>

1. अनुबन्ध की अवधि कार्य आदे ा जारी होने की तिथि से एक वर्ष के लिए होगी, जिसे संतोषप्रद कार्य होने पर सक्षम अधिकारी चाहे तो कम या अनुबन्धकर्ता की आपसी सहमति से वर्तमान दर व नियम शर्तो पर एक वर्ष या अधिक तक बढ़ायी जा सकता है।
2. कार्य को अनुबन्ध पर करने के लिये उचित व न्यूनतम दर ही स्वीकार की जावेगी यदि आव यक हुआ तो दर के बारे में आपसी बातचीत भी की जा सकती है। निविदा भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम श्रमिक दर को पूर्ण नहीं करेगा तो उसे निरस्त समक्षा जावेगा।
3. अनुबन्ध कार्य में लगने वाले श्रमिको की आयु 18 वर्ष से कम तथा 60 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिए। वे पूर्णरूपेण स्वस्थ होने चाहिये ।
4. सफल ठेकेदार स्वंय की देखरेख में अनुबन्ध का कार्य करने के लिये कार्य आदे ा प्राप्त करने से पूर्व लिखित में वचन (under taking) देना होगा की वे स्वंय रोजाना प्रभारी, प्रक्षेत्र से सम्पर्क करेगें तथा अनुबन्ध का कार्य प्रभारी अधिकारी के दि ाा–निर्दे ाानुसार सुचारू–रूप से करते रहेगें ऐसा नहीं होने पर ठेका निरस्त किया जा सकता है साथ ही उनके द्वारा जमा करवाई जाने वाली अमानत/जमानत रा ि को भी जब्त किया जा सकता हैं।
5. अनुबन्ध की अवधि के दौरान ठेकेदार एवं उनके प्रतिनिधियों द्वारा संस्थान के कर्मचारियों/अधिकारियों के साथ िष्टता का व्यवहार करना होगा।
6. श्रमिकों के बारे में निर्धारित रजिस्टर/मस्टरोल आदि का रख–रखाव स्वयं ठेकेदार को करना होगा तथा लगाये गये श्रमिकों का EPF/ESI इत्यादि यदि नियमानुसार देय होता है तो ठेकेदार द्वारा स्वयं के देय बिल रा ि से देना होगा। संस्थान द्वारा इस विषय में कोई भी अलग से भुगतान का दावा स्वीकार नही करेगा। इस प्रकार का निस्तारण ठेकेदार स्वयं अपने स्तर पर करेगा।
7. संबंधित वित्तीय व र् में या समय–समय पर होने वाले सं ोधन के अनुसार ठेकेदार के देय मासिक बिल में से नियमानुसार जी. एस.टी./आयकर (G.S.T. /Income Tax) एवं उस पर लगने वाले सरचार्जेज रा ि की भी कटौती की जावेगी।
8. ठेकेदार को अनुबन्ध की अवधि में भारत सरकार के प्रचलित श्रमिक कानूनों का पालन करना होगा। भारत सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत समय–2 पर निर्धारित दर से भुगतान करना होगा। श्रमिक को भुगतान करने की जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी। साथ ही बाल श्रमिक कानून का पूर्ण पालन करना होगा।
9. ठेकेदार द्वारा जिन प्रतिनिधियों को अनुबन्ध कार्य हेतु नियुक्त किया जावेगा उनका परिचय–पत्र ठेकेदार द्वारा स्वयं बनाकर फोटो युक्त परिचय–पत्र अधिकृत अधिकारी (सुरक्षा अनुभाग) से जारी करवाकर प्रक्षेत्र अनुभाग में प्रस्तुत करना होगा। परिचय–पत्र का व्यय स्वयं ठेकेदार को वहन करना होगा। प्रतिनिधियों को फोटो (पहचान–पत्र) आव यक होगा। साथ ही प्रतिनिधियों का नाम, पता व मोबाईल नम्बर इत्यादि प्रभारी को उपलब्ध कराना होगा।
10. अनुबन्ध कार्य के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाने पर ठेकेदार/उनके प्रतिनिधि स्वयं जिम्मेदार होगें तथा सभी प्रकार की कानूनी कार्यवाही अपने स्तर पर स्वयं के खर्चे पर करनी होगी। तथा संस्थान द्वारा किसी भी प्रकार की सहायता/क्षतिपूर्ति रा ि नही दी जावेगी। अतः अनुबन्धकर्ता अनुबन्ध मिलने के साथ ही उसके अधीन कार्य करने वाले सभी कार्मिकों का बीमा अव यक करवा लें।
11. आप द्वारा जमा करवाई गई जमानत रा ि अनुबन्ध कार्य सन्तोषजनक पूरा होने के उपरान्त 2 माह बाद वापिस देय होगी। यदि अनुबन्ध के दौरान आपका कार्य किसी भी प्रकार से असन्तोषजनक पाया गया तो आप द्वारा जमा करवाई गई जमानत रा ि को जब्त कर लिया जावेगा।
12. श्रमिक नियमों के अनुसार समस्त अभिलेख ठेकेदार को तैयार कराना होगा तथा किसी भी अधिकारी द्वारा मागने पर प्रस्तुत करना होगा।
13. सभी विवादों को निपटाने का क्षेत्राधिकार अविकानगर, मालपुरा होगा। किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में अन्तिम निर्णय देने का अधिकार निदे ाक केन्द्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर, तहसील मालपुरा, जिला टोंक, राजस्थान को होगा। जिसे ठेकेदार/फर्म/एजेन्सी/कम्पनी द्वारा मान्य होगा।
14. यह कार्य केवल अनुबन्ध की प्रकृति (जॉब कोन्टेक्ट के आधार पर) के लिये ही माना जावेगा। ठेके की अवधि व उसके उपरान्त ठेकेदार अथवा उसके प्रतिनिधि का जॉब कान्टेक्ट कार्य के अतिरिक्त संस्थान से कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा।
15. संस्थान कें सक्षम अधिकारी को बिना कोई कारण बतायें किसी भी समय जारी अनुबन्ध आदे ा को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।
16. सफल ठेकेदार को 100/– रूपये के नॉन ज्यूडि ियल स्टाम्प पेपर पर कार्य को अनुबन्ध पर करने के लिये एग्रीमेन्ट देना होगा, जिसका प्रारूप क्रय अनुभाग से प्राप्त करना होगा।
17. संस्थान के सक्षम अधिकारी महोदय को बिना कोई कारण बताये किसी भी एक/सभी निविदाओं को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।
18. यह सूचना इस संस्थान की वेबसाईट www.cswri.res.in & e-procure.gov.in पर उपलब्ध है।